न्यायालय–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–नवम् वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित नवीन कुमार दुवे, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–नवम्
आदेश दिनांक–09.06.2026
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1415 / 2026
महुआ थाना कांड संख्या–222 / 2026
स्टेट (द्वारा) पंकज कुमार बनाम गुड़िया सिंह विनोद कुमार एवं अन्य
अंतर्गत धारा–137(2) / 143(4) / 318(2) / 308(4) / 351(2) / 61(2) / 3(5) भा0न्या0सं0

	1. विनोद कुमार **पिता–हरिन्द्र राय** **ग्राम–फतेहपुर पकड़ी, थाना–महुआ,** **जिला–वैशाली** **2. अमरेश कुमार उर्फ अमित कुमार** **पिता–उमेश राय** **ग्राम–मधौल,** **थाना–महुआ, जिला–वैशाली ..... आवेदकगण / अभियुक्तगण** **बनाम** **बिहार सरकार ..... विपक्षी** **आवेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता – श्री अमित कुमार** **अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता – श्री प्रमोद कुमार शर्मा** **सूचक की ओर से विद्वान अधिवक्ता – .....**
09.06.2026	अभियुक्तगण / आवेदकगण **1. विनोद कुमार 2. अमरेश कुमार उर्फ अमित कुमार** के तरफ से महुआ थाना कांड सं0–222 / 2026 अंतर्गत धारा–137(2) / 143(4) / 318(2) / 308(4) / 351(2) / 61(2) / 3(5) भा0न्या0सं0 में गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर धारा–482 भा0ना0सु0सं0 के अंतर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता **श्री अमित कुमार** तथा राज्य के तरफ से विद्वान लोक अभियोजक **श्री प्रमोद कुमार शर्मा** को विस्तार से सुना। सूचक पंकज कुमार के लिखित सूचना के अनुसार अभियोजन का सारांश यह है कि दिनांक 14.02.26 करीब 12 बजे रात्री में गद्दीचौक सुपौल टरिया गॉव में एक निजी क्लीनिक संचालन विनोद कुमार एवं अमरेश कुमार तथा दो अन्य अज्ञात नर्स मिलकर हमारी पत्नी कविता देवी का बच्चा डिलेभरी के लिए एडमिट कराई उपरांत हमारी पत्नी को एक बच्चा जन्म लिया तो विनोद कुमार बोला कि बच्चा उल्टी कर रहा है और बच्चा का स्थिति ठीक नहीं है। उसे शीशा में भर्ती करना होगा। तब हम बोले कि कौन सा अस्पताल में भर्ती करना होगा तो विनोद कुमार ने बोला वह बलपुर छपरा एक निजी अस्पताल है वही भर्ती होगी। इसके बाद बच्चा को स्वयं विनोद कुमार एवं एक नर्स लेकर चले गये और हमको बोला कि तुम पत्नी को लेकर घर चले जाओ बच्चा हम देखेंगे और हमसे टोटल 41000 जमा भी करा लिया। जब सुबह हुआ	

Web Copy not Official

न्यायालय–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–नवम् वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित नवीन कुमार दुवे, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–नवम्
आदेश दिनांक–09.06.2026
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1415/2026
महुआ थाना कांड संख्या–222/2026
स्टेट (द्वारा) पंकज कुमार बनाम गुड़िया सिंह विनोद कुमार एवं अन्य

लगातार **09.06.2026**	तो मैं विनोद से पूछा कि बच्चा की बच्चा कैसा है तो बोला कि ठीक है। इसके बाद दो तीन दिन बीत गया तो हम बोले कि बच्चा दिखाओ तो विनोद बोला की बच्चा का स्थिति ठीक नहीं है मुजफ्फरपुर भर्ती के लिए चला गया है। इसके बाद शक हुआ कि मेरा बच्चा कही बेच दिया। लेकिन बार बार जब टॉचर करते थे तो बच्चा नहीं दिखाता था। जब हम बिगड़े की बच्चा नहीं दिखाएगा तो जाते है थाना पर आवेदन देने। उसके बाद जब दबाव पड़ा तो विनोद कुमार बोला कि तुम्हारा बच्चा डेट कर गया है। चाइल्ड केयर वाला एक लाख रूपये मॉगता है तो मैं बोला कि हमारे पास एक लाख रूपया नहीं है। कम से कम करके मैनेज करा दो तब विनोद कुमार बोला कि मरा हुआ बच्चा क्या करेगा, छोड़ दो तब हमें पूरा शक होने लगा। मैं बोला कि बच्चा का इलाज का रिपोर्ट दो एवं मरा हुआ बच्चा का लाश दो। इस क्रम में लगभग 15 दिन हमें लटपटा दिया और जब मैं 7 मार्च को थाना पर गये तो हमें बुलाकर चार पॉच लोग धमकी दिया कि इस कागज पर लिखो कि मेरा बच्चा मर गया है। जबरन हमें सादा पन्ना पर हस्ताक्षर करा लिया और धमकी दिया कि आगे बढ़ा तो हमलोग तुम्हे जान से पूरे परिवार को मार देंगे। मैं भयभीत होकर पत्नी एवं पूरे परिवार भागल चलते है। किसी समय मेरा एवं परिवार को खत्म कर देगा। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध कोई भी आपराधिक मामला लंबित नहीं है। याचिकाकर्ता बिल्कुल निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें इस मामले में झूठा फॅसाया गया है। आवेदकगण सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। फलतः आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किया जाए। विद्वान लोक अभियोजक आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते हैं। उभय पक्षों को सुना। अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी की छाया प्रति का परिशीलन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट भा0न्या0सं0 की धारा–137(2)/143(4)/318(2)/308(4)/351(2)/61(2)/3(5) के तहत दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी के पैरा 13, 45, 46, 47 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदकगण के द्वारा सूचक के नवजात बच्चा को 80 हजार रूपया में बेच दिया गया। आवेदकगण अवैध रूप से चोरी छिपे नर्सिग होम संचालित कर गॉव के	

Web Copy Not Official

न्यायालय–जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–नवम् वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित नवीन कुमार दुबे, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–नवम्
आदेश दिनांक–09.06.2026
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–1415/2026
महुआ थाना कांड संख्या–222/2026
स्टेट (द्वारा) पंकज कुमार बनाम गुड़िया सिंह विनोद कुमार एवं अन्य

लगातार **09.06.2026**	गरीब महिला को भर्ती कर उत्पन्न बच्चे को बेच दिया जाता है जो कि संपूर्ण समाज के विरूद्ध अपराध है। आवेदकगण के पास नर्सिग होम संचालित करने का कोई लाइसेंस नहीं है। पैरा 2, 3, 9, 10 के साक्षी घटना का समर्थन करते है। आवेदकगण नवजात शिशु का दुर्व्यापार का कार्य करते है। उभय पक्षों के तर्कों तथा वाद की परिस्थितियों के विवेचनोपरांत आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. विनोद कुमार 2. अमरेश कुमार उर्फ अमित कुमार** का यह **अग्रिम जमानत** आवेदन पत्र **खारिज** किया जाता है। **लेखापित** जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–नवम्, वैशाली, हाजीपुर। 09.06.2026	

Date of Judgment/Order	09-06-2026
Date of Reserving Judgment/Order	09-06-2026
Uploading Date	18-06-2026
Uploaded by	RAHUL KUMAR (STENO)